

20/8/98
20/8/98
M. K. S. / m

22-8-98

4201

पत्रांक: 3050/न्यायिक/सहायक/आरक्षण-10

Reg 84

13297

Reg. No. 2529

File No. 31

Serial No. 26-890

4011

सेवा में,
जनपद न्यायाधीश,
बाराणसी

दिनांक: 1-1-98

विषय:- दिनांक 1-1-96 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण एवं वेतन भुगतान हेतु श्री संपन्धित सेवा पुस्तिका का प्रेषण।

महोदय,
उपर्युक्त विषयक वित्त पत्र मापदण्ड निर्धारण अनुभाग के शासनादेश संख्या प.मा.नि.-356/दस-22/सम/97, दिनांक 23-12-97 एवं प.मा.नि.-357/दस-21/सम/97, दिनांक 31-12-97 व संपन्नित आदेश संख्या प.मा.नि./दस-98-44/सम/98, दिनांक 8-5-98 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

167
S.O. Admn A/H
DR (M)
21/8/98

उक्त सन्दर्भ में उल्लेखित है कि माननीय उच्च न्यायालय की विह.पिन संख्या सी-945/सी.स्फ.-8/1997, दिनांक 16-10-97 की संलग्नक सूची क्रमांक-18 पर अंकित 3050 न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री अशोक आर धर को निहित पद के साधारण वेतनमान रु 2200-4000 के विपरीत पांच वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा के प्रति दिनांक 10-4-97 से वेतनमान रु 3000-4500 अनुमन्य माना गया है। दिनांक 10-4-97 से उन्हें रु 3000-4500 वेतनमान अनुमन्य किये जाने के फलस्वरूप अगले पत्र संख्या 1850/X दिनांक 4-12-97 के द्वारा श्री अशोक आर धर की सेवा पुस्तिका/एस.पी.सी. इस कार्यालय को प्रेषित की गयी। इस तिथि के पूर्व आपके स्तर एवं आप द्वारा उनके वेतनादि का निरंतरण रिकॉर्ड जाता रहा है। शासनादेश संख्या प.मा.नि.-356/दस-22/सम/97, दिनांक 23-12-97 के प्रस्ताव-4 के अनुसार दिनांक 1-1-96 से पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण और भुगतान साधारण वेतनमान के अन्तर्गत आने के स्तर से लिया जाना है।

DRKM
21/8/98

अतः श्री अशोक आर धर की सेवा पुस्तिका एवं उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प पत्र मूल्य में इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित है कि वेतन

DR (M)
Bee

D.R. (M)
For information
May file?

S.O. Admn

File. Pa. 5711

21/8/98

Rkema
31.8.98

7 0 AUG 1998

Req 84

निर्धारण संबंधी शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के अनुसार संबंधित अधिकारी की
सहायता प्राप्त कर वेतन निर्धारण एवं वेतन भुगतान की कार्यवाही करने का कट
करें।

X संदर्भ:- सेवा पुस्तिका एवं विकल्प पत्र ।

सचदीय,

॥ तापस रंजनी ॥
संयुक्त निदेशक।

संख्या व दिनांक उपर्युक्त ।


प्रतिलिपि निम्नलिखित को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पेशित:-
श्री - कुशोम कुमार शर्मा अपतकविल अज (अउडी)

100

नारायणी

निबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, प्रतापगढ़ ।

✓


॥ तापस रंजनी ॥
संयुक्त निदेशक।

हरिपंच